

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 4/2023

निर्णय दिनांक :- 30.01.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र :

सरकार जयें तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक राज०

—प्रार्थी—

बनाम

हरदेव पुत्र रामसुख जाति जाट निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.

—अप्रार्थी—

उपस्थिति :-

पेरोकार सरकार

एकपक्षीय कार्यवाही

विरुद्ध अप्रार्थी

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू-राजस्व अधिनियम 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आंवटी हरदेव पिता रामसुख जाट को दिनांक 26.10.1977 को ग्राम थांवला में खसरा नम्बर 1397 में रकबा 4 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। जिसे गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड किया गया। उक्त आवंटित भूमि के भूप्रबन्ध बाद नये खसरा नम्बर 3134 रकबा 1.06 है० दर्ज किया गया। ग्राम थांवला से नवीन राजस्व ग्राम बनने से नये ख. नं. 2731 रकबा 1.06 है० दर्ज किये गये। उक्त गैर खातेदार को ग्राम थांवला खसरा नम्बर 2731 रकबा 1.06 है० मे से रकबा 1.00 है० रकबे के खातेदारी हक प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करने पर गैर खातेदारी से खातेदारी हक का नामान्तकरण दर्ज किया जाकर खातेदारी अधिकार दे दिया गया है। उक्त खातेदारी दिये जाने के बाद ख. नं. 3356/2731 रकबा 0.06 गैर खातेदार हरदेव पिता रामसुख जाट के नाम दर्ज रिकार्ड रह गया है जो कि भूप्रबन्ध द्वारा आवंटित भूमि के मुकाबले अधिक दर्ज कर दिये जाने से रहा है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आवेदन पत्र के चरण सं. 4 मे अंकित भूमि मे सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी बावजूद तामिल असागतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।


पत्रावली बहस में नियत की गई।

10.1.23

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नामान्तरण पंजिका ग्राम थावला के कॉलम संख्या 11 में हरदेवा पुत्र रामसुखा जाति जाट सा. देह गैर खातेदार 26.10.1977 का अंकन है और कॉलम संख्या 12 में ख. नं. 1397 रकबा 4 बीघा बाराणी 3 का अंकन व कॉलम संख्या 14 में आवंटन सूची क्रमांक 18 आवंटन द्वारा श्रीमान उप जिलाधीश महोदय टोंक 26.10.77 का अंकन है। बाद भू-प्रबन्ध ख. नं. 1397 रकबा 4 बीघा के नये खसरा नम्बर 3134 रकबा 1.06 है० दर्ज किया गया। ग्राम थावला से नवीन राजस्व ग्राम बनने से नये खसरा नम्बर 3134 रकबा 1.06 है० से हाल ख. नं. 2731 रकबा 1.06 है० दर्ज किये गये। जबकि 4 बीघा का है० में परिवर्तन करने पर 1.00 है० होते हैं अर्थात् अप्रार्थी के खाते में 1.00 है० के स्थान पर 1.06 है० भूमि लगा दी गई, जो कि 0.06 है० अधिक है। तहसीलदार देवली ने प. ह. थावला के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2022 पर ख. नं. 2731 के नये ख. नं. 3355/2731 रकबा 1.00 है० व ख. नं. 3356/2731 रकबा 0.06 है० बनाकर अप्रार्थी को ख. नं. ख. नं. 3355/2731 रकबा 1.00 है० के खातेदारी अधिकार दिये गये तथा ख. नं. ख. नं. 3356/2731 रकबा 0.06 है० भूमि आवंटन से 0.06 है० अधिक होने से, गैर खातेदारी के रूप में दर्ज की गई। अतः ख. नं. 3356/2731 रकबा 0.06 है० को गैर खातेदारी से सिवायचक राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु तहसीलदार ने न्यायालय में प्रार्थना पेश किया है। अतः राजस्व दस्तावेजों का विवेचन करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आराजी ख. नं. 3356/2731 रकबा 0.06 है० भूमि वाके ग्राम थावला तहसील देवली से गैर अप्रार्थी का नाम विलोपित कर, इस भूमि को सिवायचक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने व नियमानुसार कब्जेराज लेने हेतु तहसीलदार देवली को अनुमत किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली